यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार के माह 03.2014 से 06.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 12.07.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुनील सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.03.14 से 12.03.14 तक श्री एस॰ के॰ त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2006 से 02/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2014 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन कैरियर काउन्सलिंग, स्वत: रोजगार, पंजीयन एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद हरिद्वार का समस्त भौगोलिक अधिकार क्षेत्र आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	**2015-16**	**शून्य**	**शून्य**	**51.14**	**49.34**	**6.96**	**6.83**	**-**	**1.93**
2	**2016-17**	**शून्य**	**शून्य**	**58.55**	**48.04**	**14.63**	**5.23**	**-**	**19.91**
3	**2017-18**	**शून्य**	**शून्य**	**74.95**	**69.43**	**12.45**	**11.96**	**-**	**6.01**
4	**2018-19 (06/18)**	**शून्य**	**शून्य**	**40.25**	**21.87**	**5.87**	**1.68**	**-**	**-**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

c). उप निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

d). क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार

e). जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2014 से 06.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2015 एवं 11.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- जिला योजना की राशि रु 5.08 लाख जन आकांक्षाओं के अनुरूप व्यय नही किये जाने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालया जिला सेवायोजन अधिकारी हरिद्वार की वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 की अवधि मे जिला योजना के अन्तर्गत जारी धनराशि क्रमशः रु 2.00 लाख, रु 3.00 लाख तथा रु 2.40 लाख के सापेक्ष की गई व्यय की नियमितता की जांच की गई । जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जिला योजना की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यो मे तालमेल रख योजनाये जन आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए तथा जारी धनराशि की उपयुक्तता उनके कार्यालय सुदृढीकरण, कैरियर कौर्नर साहित्य एवं प्रचार प्रसार तथा शिक्षा मार्गदर्शन केंद्र की सुदृढीकरण के लिए सुनिश्चित किया जाना था। परंतु, वर्ष 2015-16 मे आवंटित धनराशि का 93% कार्यालय सुदृढीकरण पर, वर्ष 2016-17 मे आवंटित राशि के सापेक्ष रु 68000.00 का ही व्यय किया गया जो कार्यालय सुदृढीकरण पर था तथा शेष रु 2.32 लाख बिना प्रयुक्त किए शासन को समर्पित कर दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 मे आवंटित राशि का 93% कार्यालय सुदृढीकरण पर व्यय किया जाना पाया गया ।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 मे व्यय कार्यालय हेतु आवश्यक मद मे ही जन आकांक्षा के दृष्टिगत किया जाता है। ईंधन व्यय, वाहन मरम्मत, प्रचार प्रसार हेतु एवं फ़र्निचर मद, कैरियर काउन्सलिंग कक्ष मे अभियार्थियों के लिए किया गया । सूक्ष्म/लघु निर्माण कैरियर काउन्सलिंग कक्ष मे किया गया ।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, वर्ष 2017-18 मे प्रचार प्रसार के लिए आवंटित राशि रु 1.00 लाख के सापेक्ष मात्र रु 16350.00 व्यय किया गया। योजना पर व्यय जन आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए था तथा दिशा निर्देशानुसार योजना की राशि जनपद मे व्यापक कैरियर काउन्सलिंग के आयोजन तथा शिक्षा मार्गदर्शन केंद्र के संचालन पर किया जाना था, परंतु आवंटित मुख्य कार्य की अनदेखी कर योजना राशि का अधिकांश हिस्सा कार्यालय की साज-सज्जा पर वर्ष दर वर्ष व्यय कि पुनरावृति कर उद्देश्य को प्रभावित किया गया ।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
206/2013-14	-	1,2	-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
206/2013-14	लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित प्रारुप में अनुपालन आख्या अविलम्ब तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री प्रवीन गोस्वामी	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	विगत लेखापरीक्षा से 09/2016 तक
श्रीमति विनीता बडोनी	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	04/17 से 07/17
श्री उत्तम कुमार	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	08/17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.